

प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 153/एसी-12-302/जी0पी0एफ0/19,

दिनांक 15/06/2019

1. समस्त क्षेत्रीय, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक (एच0आर0डी0/सी0पी0यू0), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता(कैश), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

विषय:- जल निगम के सेवारत कार्मिकों के जी0पी0एफ0 कटौती के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-376/एसी-12/302-जी0पी0एफ0/18, दिनांक:-06.12.2018 के द्वारा अभिदाता के मासिक अभिदान जी0पी0एफ0 की कटौती की धनराशि उसकी मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन) के 10%(दस प्रतिशत) मात्र के बराबर किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के कम में मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के द्वारा कार्मिकों के मासिक जी0पी0एफ0 कटौती के संबंध में पूर्ववत व्यवस्था लागू रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।


अतः एतद् द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि कार्मिकों के जी0पी0एफ0 मासिक अभिदान के संबंध में अधिकतम 10% की कटौती के स्थान पर पूर्ववत व्यवस्था लागू रखी जाय।

(ए0के0 बाजपेयी)
प्रबन्ध निदेशक

पू0सं0एवं दिनांक यथापरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 2-मुख्य अभियन्ता(अ-2-1/अ-2-2/अ-3/अ-4), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 3-निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 4-सचिव(प्रशासन/व्यवस्था), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 5-समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
- 6-समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
- 7-मैनेजर (ई0डी0पी0सेल)/ डाटा सेक्टर, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को जल निगम की वेबसाइट पर उक्त आदेश की प्रति प्रदर्शित/अपलोड किये जाने हेतु।
- 8-अधिशासी अभियन्ता(निधि), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 9-गार्ड फाईल।


प्रबन्ध निदेशक